FORM III
फर्द अहकाम
(नियम – 26)

...ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

मन्शीराम बनाम अणची वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 ...सन् 2023 जीसीएमएस न. 2023/122

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
...पोर्ट सरिश्ता होकर पत्रावली केवियट प्रार्थना पत्र के साथ पेश हुई। वकील ...र्थी उपस्थित। केवियटकर्ता अप्रार्थी सं. 34 के अधिवक्ता को ईतला दी गई ...पस्थित आये। प्रार्थना पत्र की नकल दिलवायी गई। केवियटकर्ता अधिवक्ता ...प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी एवं प्रार्थना पत्र के साथ विकय पत्र की प्रति व ...प्रार्थी सं. 27 फौत होने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किये। प्रार्थी अधिवक्ता ने ...नुरोध किया कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर सुना जावें। ...न्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकुलाय को सुना गया। कैवियटकर्ता अधिवक्ता ने कथन किया कि पूर्व में मंशीराम ...ारा बटवारे का दावा व टी.आई पेश कर रखा है। अब उसी भूमि को लेकर ...या दावा व टी.आई पेश किया है जिसमें मृत व्यक्ति अप्रार्थी सं. 27 को पार्टी ...नाया गया है। मृत व्यक्ति के विरूद्व टी.आई जारी नही की जा सकती। ...ातेदार श्योपाल ने 1/2 अपना हिस्सा बृजनन्दन शर्मा को रजिस्टर्ड विकय ...त्र से विकय कर दिया है उसे वाद में पक्षकार नही बनाया गया है। वादी ...ारा प्रस्तुत वाद ही डिफेक्टीव है। अतः अन्तरिम टी.आई जारी नही की जा ...सकती। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि पूर्व में प्रस्तुत वाद के साथ जो टी.आई पेश की गई थी वह अदम हाजरी में खारीज हो चुकी है। नया दावा ...ी बटवारे का ही है जो पूर्व से विचाराधीन दावा के साथ सलंग्न किया जा सकता है। भूमि संयक्त खातेदारी की है। अप्रार्थीगण बिना विधिवत विभाजन के भूमि को विकय करने पर आमादा है। कोई भी खातेदार बटवारे का वाद ...ला सकता है उसे मना नही किया जा सकता। अतः अन्तरिम टी.आई जारी की जावें। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्य एवं परिरिस्थितियों को देखते हुये एवं विवादित भूमि को लेकर पूर्व से ही विचाराधीन बटवारे के वाद को देखते हुये सभी पक्षकारान को सुने बिना अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जा... ...जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र ... ...जा... अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 1... ...2023 को पेश ...हो। Signature Not Verified Digitally signed by Rajveer Singh Yadav Date: 2024.12.02 14:57:18 IST Reason: SelfAttested राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Scanned with OKEN Scanner

10/1/24 पत्रावली पेश हुई। मजमूनात उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 23/1/24 को पेश हो।

23/1/24 पत्रावली पेश हुई। मजमूनात [illegible]। P.O साहब दौरा कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/3/24 को पेश होवे।

28/3/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible] ने आज [illegible] कार्य का स्थगन कर रखा है। [illegible] पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/4/24 को पेश हो।

16/4/24 पत्रावली पेश हुई। मजमूनात उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 30/5/24 को पेश हो।

30/5/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवाई गई। आवाज लगवाने के उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कार्यवाही [illegible] अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:57:18 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner